अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2020 (RCMS 2020/00073) डा. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, दूगड विद्यालय रोड, बाल मन्दिर स्कूल के पास, सरदारशहर जिला चुरू (राज.) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2019 प्रस्तुत करके सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके द्वारा श्रीगंगानगर जिले में कितने मोबाईल डिस्पेंसिग यूनिटों को बायो फ्यूल रिटेल एवं थोक एवं खुदरा बिक्री विक्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में) तथा उनको किन नियमों के तहत एवं उनको किन–किन शर्तों एवं नियमों की पालना करते हुए उत्पाद विक्रय करना पड़ेगा, उनका सम्पूर्ण विवरण तथा किन ग्राहकों को उक्त उत्पाद विक्रय किया जायेगा, उनका सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)
2. बायो फ्यूल डीजल कहाँ से आयेगा तथा उसका मूल भण्डारण

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्थल श्रीगंगानगर में कहाँ रहेगा तथा किस प्रकार से मोबाईल वेनों में भरा जायेगा तथा इसके लिए सुरक्षा मानदण्डों की पूर्ति व विस्फोटक अनुज्ञप्ति क्रमांक की किसी प्रकार की दुर्घटना कारित होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)

3. उक्त वाहन से किसी प्रकार की अग्नि से क्षति कारित होने से सुरक्षा हेतु अग्निशमन के लिए किन–किन तथ्यों की पालना या ध्यान रखा जायेगा व पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से अनुज्ञप्ति के लिए छूट किन–किन तथ्यों एवं नियमों के तहत प्राप्त की गयी है या नहीं की गयी है तो किन नियमों के तहत, उन नियमों की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रमाणित प्रतियों में)
4. बाउजर जो कि डीजल की डिस्पेंसिंग यूनिटों को लेकर चलते है, उनको स्वीकृति कब व किस माध्यम से तथा कितने वाहनों को दी गयी, उनकी सूची तथा इनकी सुरक्षा के लिए आपके द्वारा किन–किन मानदण्डों के लिए तथा किन–किन मानदण्डों। के लिए तथा किन–किन शर्तों के तहत पालना की गयी, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में) व आपके जिले में कितने वाहनों को प्रदान की गई, उनकी सूची व उनके द्वारा उपभोक्ताओं एवं आमजन की गुणवता के अनुरूप उत्पाद मिले, के लिए निर्धारित नियमों का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)
5. अग्निशमन विभागन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने के लिए प्रदान की छूट के लिए बने नियमों एवं प्रावधानों की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रमाणित प्रतियों में)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. उक्त बाउजर किस प्रकार कहाँ से डीजल का विक्रय करने हेतु पुनर्भरण (refill) करते है, उनके लिए बने नियमों एवं परिपत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
7. आपके द्वारा इन बाउजर व मोबाईल डिस्पेंसिग यूनिट बायोफ्यूल का निरीक्षण कब–कब किया गया व किन–किन ग्राहकों को उक्त उत्पाद विक्रय किया गया तथा इनका निरीक्षण प्रतिवेदन आपके द्वारा व जिला रसद अधिकारी महोदय के द्वारा कब–कब किया गया का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/2207 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा अपील का निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

1. बिन्दु संख्या 1 से 7 तक की सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होने के कारण श्रीमान् अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पत्रांक रसद/2019–20 दिनांक 03.01.2020 (संलग्न) द्वारा प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया कि बिन्दुवार वांछित सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं है।
2. पुनः कार्यालय अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से आवेदक का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उक्त सूचना जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग को अग्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया।
3. तदुपरांत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 3 व 5 का संबंध जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर व आयुक्त, श्रीगंगानगर से होने के कारण कार्यालय के पत्रांक रसद/आरटीआई/2019–2020/1060 दिनांक 22.01.20(संलग्न) द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया व बिन्दु संख्या 01, 02, 04, 06 व 07 का संबंध बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान –सरकार, जयपुर से होने के कारण उन्हें कार्यालय के पत्रांक रसद/आर.टी.आई./2019–2020/1063 दिनांक 22.01.20 (संलग्न) द्वारा प्रार्थना पत्र अग्रेषित किया गया व नियमानुसा प्रार्थी को सूचित करने के लिए कहा गया।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. साथ ही कार्यालय के पत्रांक रसद/आर.टी.आई./2019—2020/1061—62 व 1064—65 दिनांक 22.01.2020 (संलग्न) द्वारा श्रीमान् अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर व प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी को भी सूचित किया।

इस प्रकार कार्यालय स्तर से प्रार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें।

-sd-
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिया जा चुका है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उक्तानुसार कार्यालयों से है। इसलिए अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालयों से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकता है और सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालयों से सूचना प्राप्त न होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर